कृपया प्रकाशनार्थ - **1 दिसंबर 2010**

भाजपा नेता तथा पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री. राम नाईक द्वारा 1 दिसंबर 2010 को मुंबई में पत्रकार परिषद में प्रसारित वक्तव्य

अभीभी कुष्ठरोग का निर्मूलन नही हुआ हैं, उनके सशक्तीकरण की नीति चाहिए : राम नाईक

मुंबई, बुधवार : कुष्ठरोग का अपने देश से निर्मूलन होने का दावा खोखला है; पिछले डेढ़ साल में देश में 1.25 लाख से भी ज्यादा नए कुष्ठपीडित रुग्ण पाएं गए हैं. इस बिमारी का गंभीर स्वरुप तथा समाज का कुष्ठपीडितों की ओर देखने का रवैया ध्यान लेकर जुलाई 2011 के पहले सरकार ने कुष्ठपीडितों का सर्वेक्षण पुरा कर उनके सशक्तीकरण के लिए नीति अपनानी चाहिए, ऐसा प्रतिवेदन राज्यसभा की याचिका समिति द्वारा हालही में संसद में प्रस्तुत किया गया है. भाजपा नेता व पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री. राम नाईक व अन्यों ने संसद के सामने पेश की प्रार्थना याचिका के संदर्भ में सादर इस रपट की शिफारिशों का तुरंत क्रियान्वयन होना चाहिए ऐसी माँग आज मुंबई में श्री. नाईक ने पत्रकार परिषद में की. इस समय उनके साथ याचिका करनेवालों में से बोरीवली के संजयनगर कुष्ठपीडित रहिवासी संघ के अध्यक्ष श्री. भिमराव मधाळे भी थे.

देश के कुष्ठपीडितों की समस्याओं को हल करने के लिए तथा उनके सशक्तीकरण के लिए पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री. राम नाईक, इंटरनॅशनल लेप्रसी युनियन, पुणे के डॉ. शरद गोखले, कुष्ठपीडितों के लिए सेवाकार्य करनेवाले चेन्नई के डा. गोपाल, कुष्ठरोग निवारण समिती, पनवेल के श्री. उदय ठकार, श्री. भिमराव मधाळे तथा श्री. शांताराम भोईर ने 5 दिसंबर 2007 को राज्यसभा के सांसद स्व. वेदप्रकाश गोयल के माध्यम से संसद में अपनी प्रार्थना याचिका दर्ज की थी. याचिका समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री. एम्. व्यंकैया नायडू ने समिति का प्रतिवेदन 24 अक्टूबर 2008 को संसद में पेश किया था. इस प्रतिवेदन पर सरकारद्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में याचिका समिति के विद्यमान अध्यक्ष श्री. भगत सिंह

..2..

कोश्यारी ने समिति का प्रतिवेदन गत सप्ताह में 22 नवंबर को संसद में पेश किया. इस प्रतिवेदन की श्री. नाईक ने आज पत्रकारों को जानकारी दी.

याचिका समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन में सरकार ने कुष्ठपीडितों का सर्वेक्षण कर उनके सशक्तीकरण के लिए नयी राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिए ऐसी सिफारिश की थी. उसके अनुसार हुए सर्वेक्षण ने सबको चौंका दिया है. सरकार भले ही कुष्ठरोग का देश से निर्मूलन का दावा कर रही है, वास्तव में वर्ष 2008 - 2009 व अप्रैल 2009 से 30 सितंबर 2010 तक के डेढ़ साल में देश में कुष्ठरोग के 1,34,184 नए रोगी पाए गए है. और यह सर्वेक्षण अभी भी जारी है. यह काम जुलाई 2011 तक पुरा किया जाए और कुष्ठपीडितों के सशक्तीकरण के लिए नयी राष्ट्रीय नीति तय हो ऐसा सुझाव याचिका समिति ने अपने प्रतिवेदन में दिया है.

याचिका समिति द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों की जानकारी देते हुए श्री. नाईक ने कहा, "फिलहाल जिन कुष्ठपीडितों को अपने रोग से 40 % निःशक्तता आयी है उन्हेंही निःशक्त व्यक्ति को मिलनेवाली रियायतें प्राप्त होती है. किंतु कुष्ठपीडितों की ओर सामाजिक धारणा के चलते सभी कुष्ठपीडितों को यह रियायतें मिले, इतनाही नहीं तो ठीक होने के बाद भी उनहें उचित रोजगार नही मिल पाता यह ध्यान में रखकर उन्हे प्रति महिना प्रति व्यक्ति रु. 2,000 निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए. साथ ही साथ कुष्ठपीडितों के प्रति मानवीय दृष्टीकोन अपना कर गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करनेवाले लोगों की तरह अंत्योदय अन्न योजना का लाभ दिया जाए. साथ ही साथ अगर कुष्ठपीडित वाहने चलाने के लिए सक्षम हो तो केवल उसकी बीमारी के कारण लायसेन्स न देना गलत रहेगा ऐसा भी समिति ने कहा है."

कुष्ठपीडितों की बस्तीयों में हर हप्ते जाकर चिकित्सा अधिकारियोंद्वारा चिकित्सा की जाए, कुष्ठपीडितों की बस्तियों में रहने वालों को निःशुल्क नागरिक सुविधाएं मुहैया की जाए. जहाँ बस्ती नही है वहाँ

कुष्ठपीडितों को 'इंदिरा आवास योजना' के अंतर्गत मकान दिए जाए तथा राजीव कुटीर योजना के तहत इन बस्तीयों को मुफ्त बिजली देने की सिफारिश भी समिति ने की हैं; ऐसी जानकारी श्री. नाईक ने दी. कुष्ठपीडितों के बच्चों के बारे में समिति ने अपनाये दृष्टीकोन पर संतोष जताते हुए श्री. नाईक ने कहा, "इन बच्चों की ओर भी समाज घृणा से देखता है इस तथ्य का स्वीकार कर उनके लिए अलग स्कूल बनवाने की सिफारिश समिति ने की है. इतना ही नहीं तो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना आसान हो इसलिए उच्च व तकनिकि शिक्षा भी मुफ्त देने को कहा गया है. किशोर आश्रम में भी उन्हें अन्य बच्चों से अलग न रखा जाएं इसका आग्रह भी समिति ने रखा है. समिति ने कहा हैं कि देश के अनेक कानुनों में सुधार की जरुरत है. हिंदु, मुस्लिम तथा भारतीय ख्रिश्चनों के विवाह तथा तलाक के कानुन व हिंदु गोद कानुन में आवश्यक सिफारिशों के बारे में विधी मंत्रालय ने कोई भी जबाब दिया नही इसलिए समिति ने अपने प्रतिवेदन में नाराजगी जतायी हैं. सभी कानूनों में छः महिनों के अंदर सुधार करने की बात करने के साथ ही साथ समिति ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका अधिनियम और भीख माँगने परत प्रतिबंध लगानेवाले कानुन में भी सुधार की आवश्यकता जतायी. कुष्ठपीडितों को समाज स्वीकार करे इसलिए सभी प्रसार माध्यमोंद्वारा विशेष प्रयत्न किए जाए ऐसा भी समिति ने कहा हैं. "

याचिका समिति के सभी सिफारिशों का क्रियान्वयन जल्द से जल्द हो तथा कुष्ठपीडितों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए ऐसी माँग श्री. राम नाईक ने पत्रकारों के माध्यम से की.

(कार्यालय मंत्री)

विशेष : राज्यसभा में पेश किया प्रतिवेदन www.ramnaik.com इस वेबसाईट पर 'Press Release' में उपलब्ध हैं.